इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 फरवरी 2011—माघ 20, शक 1932

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2011

फा. क्र. 84 (1)-वि. निर्वा.-2011-चार-24.—भारत निर्वाचन आयोग का आदेश क्रमांक 3-4-ID-2011/SDR-(MP) दिनांक 4 फरवरी 2011 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

प्रेम चन्द मीना, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 2011

आदेश

सं. 3-4-आई.डी.-2011-एस.डी.आर (मध्यप्रदेश).—यह:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह प्रावधान है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन असली निर्वाचकों के मताधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय निर्वाचकों के लिये अपनी पहचान को सिद्ध करने के उपाय के रूप में निर्वाचक पहचान-पत्र के प्रयोग के लिए उस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा प्रावधान किया जाए; और

2. यत; निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को मतदान के समय निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुगम बनाने के लिये राज्य की लागत पर उनके फोटो सहित निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी करने का निदेश देने का अधिकार देता है; और

3. यत; निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज (3) और 49 ट (2) (ख) में यह अनुबंध है कि जिन निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी किये गये है उन निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा और उनकी ओर से निर्वाचक पहचान-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने या मना करने पर मत डालने से उन्हें मना किया जा सकता है; और

4. यत; उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों के सामंजस्यपूर्ण और संयुक्त पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम होने से ही होता है तथापि यह निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, जहाँ राज्य की लागत पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी किया गया है, वहाँ दोनों को ही साथ-साथ प्रयोग में लाया जाना है; और

5. यत; निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश दिया था; और

6. यत; आयोग ने यह पाया है कि पिछले कुछ वर्षों से जब से निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी करने के लिये कार्यक्रम का कार्यान्वियन शुरू किया गया था, मध्यप्रदेश के निर्वाचन-तन्त्र ने सभी संभव प्रयत्नों द्वारा छूटे हुए निर्वाचकों को ध्यान में रखते हुए पहचान-पत्र जारी करने के लिये निर्वाचन-क्षेत्रों और इलाकों में अनेक चक्रों को दोहराते हुए पर्याप्त संख्या में निर्वाचकों को फोटो पहचान-पत्र जारी किए है; और

7. यत; मध्यप्रदेश में निर्वाचकों के फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करके प्रकाशित कर दी गई है; और

8. यत; जनवरी-मार्च, 2000 में हुए हरियाणा विधान सभा के साधारण निर्वाचन और तब से अब तक हुए सभी साधारण और उप निर्वाचनों में आयोग ने यह निदेश दिया था कि उक्त निर्वाचनों में सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी किए जा चुके हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय अपने पहचान-पत्र प्रस्तुत करें और उक्त निर्वाचनों में उन छूटे हुए निर्वाचकों जिन्होंने निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र प्राप्त नहीं किए है, उन्हें मतदान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि आयोग द्वारा निर्धारित किसी वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उनकी पहचान स्थापित की जा सके.

9. अत; अब, सभी सम्बद्ध बातों और विधिक तथा तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि मध्यप्रदेश में 198-कुक्षी (अ. ज. जा.) एवं 170-सोनकच्छ (अ. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये उप निर्वाचन, जो दिनांक 21 जनवरी, 2011 को अधिसूचित हुआ था, के लिये मतदान केन्द्रों पर मत डालने और अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय सभी मतदाताओं को जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी हो चुका है, को इन पहचान-पत्रों को प्रस्तुत करना होगा. यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसे निर्वाचक को अपनी पहचान स्थापित करने के लिये निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा :

(i) पासपोर्ट

(ii) ड्रायविंग लाइसेंस

(iii) आयकर पहचान-पत्र (पी. ए. एन.)

(iv) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र.

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/डाकघरों द्वारा 31-12-2010 तक खोले गए खातों के लिये फोटोयुक्त पासबुक

(vi) फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र

(vii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 31-12-2010 तक जारी फोटोयुक्त अ. जा./अ. ज. जा./अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र

(viii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 31-12-2010 तक जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र

(ix) 31-12-2010 तक जारी फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस

(x) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के अधीन 31-12-2010 तक जारी फोटो युक्त जॉब कार्ड

(xi) फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे कि पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख इत्यादि

(xii) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक की विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश (31-12-2011 तक जारी).

(xiii) फोटो युक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (श्रम योजना मंत्रालय 31-12-2011 तक जारी)

(xiv) परिवार के मुखिया को 31-12-2010 तक जारी किए गए फोटोयुक्त राशन कार्ड

10. उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज जो केवल परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध हो, का प्रयोग उस परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान करने के लिये किया जा सकता है, बशर्ते सभी सदस्य एक साथ आएं तथा उनकी पहचान परिवार के मुखिया द्वारा उनकी पहचान स्थापित हो सके.

आदेश से,
हस्ता./-
(के. एफ. विल्फ्रेड)
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 4th February, 2011

ORDER

No. 3-4-ID-2011-SDR-(MP).—1. Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Identity Cards for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electors Photo Identity Cards to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rule 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors Photo Identity Cards under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electors Photo Identity Cards at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electors Photo Identity Cards may result in the denial of permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electors Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, and that both are to be used together; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electors Photo Identity Cards (EPICs) to all electors, according to a time bound programme; and

6. Whereas, the Commission has taken note of the fact that over the last few years since the implementation of the programme of issue of EPICs was taken up, the election machinery of Madhya Pradesh, has issued these cards to a substantially high number of electors and made all possible efforts, by way of repeated rounds of the constituencies and areas, with a view to issuing cards to the left-out electors; and

7. Whereas, electoral rolls containing photographs of the electors have been prepared and published in Madhya Pradesh; and

8. Whereas, at the general election to the Legislative Assembly of Haryana held in January-March, 2000, and at all general and bye-elections held since then, the Commission had dirercted that all electors who were issued with EPICs should produce those cards to exercise their franchise at the said elections, and that it would permit the odd electors who have not obtained their EPICs to vote at the said elections, provided their identity is otherwise established by production of one of the alternative documents prescribed by the Commission; and

9. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that all electors in 198-Kukshi (ST) and 170-Sonkatch (SC) Assembly Constituencies in Madhya Pradesh, for the bye-election notified on 21st January, 2011, shall produce their EPICs for establishing their identity before casting their votes. If any elector fails to produce his/her EPIC, such elector shall have to produce any of the following alternative photo documents for establishing his/her identity.

(i) Passports,

(ii) Driving Licences,

(iii) Income Tax Identity (PAN) Cards,

(iv) Service Identity Cards having photograph, issued to its employees by State/Central Government Offices, Public Sector Undertaking, Local Bodies or Public Limited Companies,

(v) Passbooks containing Photographs for Accounts opened up to 31-12-2010 in Public Sector Banks/Post Offices,

(vi) Freedom Fighter Identity Card with photograph.

(vii) SC/ST/OBC certificates issued by competent authority with photograph issued up to 31-12-2010.

(viii) Certificate of physical handicap having photograph issued by the Competent Authority, issued up to 31-12-2010.

(ix) Arms License having photograph, issued up to 31-12-2010.

(x) Job Cards with photograph issued under the National Rural Employment Guarantee Scheme, issued up to 31-12-2010.

(xi) Property Documents with Photograph such as pattas, Registered Deeds, etc.,

(xii) Pension Documents such as ex-servicemen's Pension Book/Pension Payment Order, ex-servicemen's Widow/Dependent Certificates, Old Age Pension Order, Widow Pension Order with photograph (issued upto 31-12-2010).

(xiii) Health Insurance Scheme Smart Cards with photograph (Ministry of Labour's Scheme, issued up to 31-12-2001,

(xiv) Ration Cards with photograph of the Head of the family issued upto 31-12-2010.

10. Any of the abovementioned documents that is available only to the head of the family may be used for identifying the other members of the family provided all members come together and are identified by the head of the family.

By order,
Sd./-
(K. F. WILFRED)
Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011